

प्ररूप 21 ग

{नियम 64 देखिए}

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य) के 08—अलवर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

बालक नाथ (नाम), श्री बाबा मस्तनाथ मठ अस्थल बोहर रोहतक, हरियाणा (पता) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान: अलवर

तारीख: 23.05.2019



इन्द्रजीत सिंह

रिटर्निंग ऑफिसर

08— अलवर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर)

(इन्द्रजीत सिंह)

रिटर्निंग ऑफिसर

08—अलवर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर

FORM 21C

(See rule 64)

(For Use in General Election when seat is contested)

**Declaration of the result of Election under section 66 of the
Representation of the People Act, 1951.**

*** Election to the house of the People from the 08 - ALWAR Parliamentary
constituency in RAJASTHAN (State).**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the
Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct
of Elections Rules, 1961, I declare that-

Balak Nath (Name), Shri Baba Mastnath Math Asthal Bohar, Rohtak,
Haryana (Address), Sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the
recognized/registered political party) has been duly elected to fill the
seat in that House from the above constituency.

Place: Alwar

Date: 23-05-2019



Inderjeet Singh

Returning Officer

**08 - Alwar Parliamentary Constituency
(District Collector & District Magistrate, Alwar)**

**(INDERJEET SINGH)
Returning Officer
08 Alwar Parliamentary Constituency
(District Collector &
District Magistrate, Alwar)**